आदेश पत्रक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू

मुकदमा नम्बर 06/2020 दिनांक 10/02/2020

किशोर सिंह पुत्र श्री हुक्मसिंह निवासी कारी तहसील नवलगढ — बनाम — राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
10.2.20	वकील वादी श्री जयपाल सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजस्व ग्राम कारी की सरहद में नई खाता संख्या 477 पुराना 414 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1420/3.92, 1421/1.20 हेक्टर स्थित है तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 478 पुराना 293 खसरा नम्बर 855 रकबा 0.38 हैक्टर स्थित है उक्त दोनों खाता नम्बरान में प्रार्थीगण का हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैत्रिक कृषि भूमि है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का हिस्सा सही नही दर्ज करके गलत दर्ज कद दिया जिसकों संसोधन करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण का हिस्सा निम्न प्रकार से गलत दर्ज हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 3.92 व 1421 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.1200 हेक्टर जिसमे प्रार्थी 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/15 के स्थान पर 2/45, 2/45, 2/45 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व प्रार्थीगण 4 लगायत 5 प्रत्येक का 2/15 के स्थान पर 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व इसी ग्राम मे भूमि खाता खाता संख्या नया 478 पुराना 293 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 855 रकबा 0.3800 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 हैक्टर में प्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक का 2/15 के स्थान पर हिस्सा 4/45, 4/45/4/45 दर्ज होना चाहिए तथा प्रार्थीण 4 लगायत 5 का प्रत्येक का 4/15 के स्थान पर 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड मे गलत हिस्से दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा दुरूस्त किया जावे क्योंकि उक्त राजस्व रिकार्ड मे हिस्से की गलती राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई है। उक्त हिस्से की गलती सहवन व लापरवाही से हुई है, जिसकों दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादकारण दिनाक 16.01.2020 को जब पैदा हुआ जब प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड मे अपने हिस्से गलत दर्ज देखा। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का हिस्सा निम्नप्रकार से गलत दर्ज हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 3.9200 व 1421 रकबा 1.2000 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.1200 हेक्टर जिसमे प्रार्थी 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/15 के स्थान पर 2/45, 2/45, 2/45 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व प्रार्थीगण 4 लगायत 5 प्रत्येक का 2/15 के स्थान पर 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व इसी ग्राम मे भूमि खाता संख्या नया 478 पुराना 293 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 855 रकबा 0.3800 हेटर मे प्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक का 2/15 के स्थान 4/45, 4/45, 4/45 दर्ज होना चाहिए तथा प्रार्थीगण 4 लगायत 5 का प्रत्येक 4/15 के स्थान पर 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के सही हिस्से को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे जिसके लिए अप्रार्थी तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी की जावे। उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कारी के खाता संख्या 477 में नामा0 संख्या 2240 हकत्यागपत्र से किशोर सिंह प्रेमपाल सिंह विक्रम सिंह पिता हुकुम सिंह व भागीरथ सिंह गिरधारी सिंह पिता रावत सिंह व ग्राम कारी के खाता संख्या 478 में किशोर सिंह, प्रेमपालसिंह, विक्रम सिंह पिता हुकमसिंह गिरधारी सिंह भागीरथ सिंह पिता रावत सिंह का हिस्सा गलत दर्ज हो गया। हकत्याग पत्र अनुसार खाता संख्या 477 किशोर सिंह हिस्सा 2/45, प्रेमपाल सिंह 2/45, विक्रम सिंह 2/45, भागीरथ सिंह हिस्सा 1/6, गिरधारी सिंह हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 478 मे किशोर सिह 4/45, प्रेमपाल सिंह 4/45 विक्रम सिंह 4/45 भागीरथ सिंह 1/3 , गिरधारी सिंह 1/3 हिस्सा किया जाना उचित है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट का मनन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ मे खाता दुरूस्ती करने की अभिशंषा की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथीगण स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या 477 किशोर सिंह हिस्सा 2/45, प्रेमपाल सिंह 2/45, विक्रम सिंह 2/45, भागीरथ सिंह हिस्सा 1/6, गिरधारी सिंह हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 478 मे किशोर सिह 4/45, प्रेमपाल सिंह 4/45 विक्रम सिंह 4/45 भागीरथ सिंह 1/3 , गिरधारी सिंह 1/3 हिस्सा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मुरारी लाल शर्मा) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ		

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested